संख्या-15 /2021-596/58-2021-49/2018

प्रेषक,

रवि शंकर मिश्र,
उप सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग,
उत्तर प्रदेश लखनऊ।

उद्यान अनुभाग **लखनऊः दिनांकः 18 मार्च, 2021**

विषयः- राष्ट्रीय कृषि विकास योजनान्तर्गत वर्ष 2020-21 में एस0एल0एस0सी0 से अनुमोदित डिस्ट्रीब्यूशन आफ वेजीटेबिल सीड्स मिनीकिट किचन गार्डेन सेट परियोजना तथा 30 नान एन.एच.एम. जनपदों में औद्यानिक विकास परियोजनान्तर्गत अनुमोदित धनराशि के सापेक्ष प्रशासनिक स्वीकृत प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-633/ आर0के0वी0वाई0/मिनीकिट /2020-21, दिनांक 24.02.2021 एवं पत्र संख्या-641/ आर0के0वी0वाई0/30 नान एनएचएम /2020-21, दिनांक 24.02.2021 तथा कृषि अनुभाग-3 के शासनादेश संख्या-253/12-3-2021/100(37)/2017टीसी, दिनांक 23.02.2021 के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि राष्ट्रीय कृषि विकास योजनान्तर्गत वर्ष 2020-21 में एस0एल0एस0सी0 से अनुमोदित डिस्ट्रब्यूशन ऑफ वेजीटेबिल सीड्स मिनीकिट किचन गार्डेन सेट परियोजनान्तर्गत धनराशि रू0-100.80 लाख तथा 30 नान एन0एच0एम0 जनपदों की औद्यानिक विकास परियोजना अन्तर्गत अनुमोदित धनराशि रू0-3867.69 लाख के सापेक्ष धनराशि रू0-428.40 लाख, इस प्रकार कुल धनराशि रू0-529.20 लाख (रूपये-पांच करोड़ उन्तीस लाख बीस हजार) मात्र व्यय किये जाने की प्रशासनिक स्वीकृति कृषि अनुभाग-3 के उक्त संदर्भित शासनादेश में उल्लिखित शर्तों एवं निम्नलिखित प्रतिबन्धों के अधीन प्रदान की जाती है:-

(धनराशि लाख रूपये में)

परियोजना का नाम	लेखाशीर्षक/मानक मद	अवमुक्त धनराशि	प्रशासकीय स्वीकृति की धनराशि
डिस्ट्रीब्यूशन आफ	अनुदान सं0-11, लेखा शीर्षक-2401-फसल कृषि कर्म -		

http://shasanadesh.up.gov.in

वेजीटेबिल सीड्स मिनीकिट किचन गार्डन सेट	800-अन्य व्यय-02- राष्ट्रीय कृषि विकास योजना-(के0 60/रा040- के+ रा0)-0204-उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण की योजनायें-(के060/रा040-के+ रा0)- 27- सब्सिडी	100.80	100.80
30 नान एन.एच.एम. जनपदों में औद्यानिक विकास परियोजनान्तर्गत	अनुदान सं0-11 लेखाशीर्षक 2401-फसल कृषि कर्म-800-अन्य व्यय-02-राष्ट्रीय कृषि विकास योजना-(के0 60/रा040- के+ रा0)-0204-उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण की योजनायें--(के0 60/रा040- के+ रा0)- 27- सब्सिडी	402.00	402.00
	अनुदान सं0-83 लेखाशीर्ष 2401-फसल कृषि कर्म-789-अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना-02-राष्ट्रीय कृषि विकास योजना--(के0 60/रा040- के+ रा0)-0202-उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण की योजनायें-(के0 60/रा040- के+ रा0)- 27- सब्सिडी	26.40	26.40
योग		**529.20**	**529.20**

(रूपये पांच करोड़ उन्तीस लाख बीस हजार मात्र)

(1) प्रश्नगत प्रशासकीय स्वीकृति कृषि अनुभाग-3 के शासनादेश संख्या- 253/12-3-2021-100(37)/2017टीसी, दिनांक 23.02.2021 में दी गयी शर्तों/प्रतिबन्धों के अधीन होगी। उक्त धनराशि का व्यय प्रश्नगत योजना कें अनुमोदित मदां पर ही व्यय किया जायेगा। अन्य योजना/मदों/कार्यो पर किया गया व्यय वित्तीय अनियमितता मानी जायेगी जिसके लिए निदेशक, उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण, वित्त नियंत्रक तथा संबंधित जनपदीय अधिकारी उत्तरदायी होंगे।

(2) स्वीकृत धनराशि के व्यय किये जाने के पूर्व सक्षम अधिकारी की पूर्वानुमति प्राप्त कर ली जायेगी।

(3) व्यय भारत सरकार/शासन के सुसंगत नियमों/निर्देशों के अधीन गाइड लाइन में निहित निर्देशानुसार ही किया जायेगा।

(4) योजनान्तर्गत लाभार्थी को दिये जा रहे लाभ में द्विरावृत्ति नहीं होगी अर्थात राज्य सेक्टर या किसी अन्य समान योजना के लाभार्थी इस योजना में शामिल नहीं होंगे। लाभार्थियों के नाम छमज पर रहेंगे।

(5) भण्डार क्रय नियमों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(6) योजनान्तर्गत व्यय को स्वीकृत धनराशि के अन्दर सीमित रखा जायेगा। अतिरिक्त धनराशि मिलने की प्रत्याशा में व्यय को किसी भी दशा में स्वीकृत धनराशि से बढ़ाया नहीं जायेगा।

http://shasanadesh.up.gov.in

(7) अप्रयुक्त धनराशि शासन को यथा समय समर्पित की जायेगी।

(8) अनुदान सं0-83 के अन्तर्गत स्वीकृत धनराशि का उपयोग स्पेशल कम्पोनेन्ट प्लान से संबंधित गाईड लाइन में दी गयी व्यवस्था के अनुसार इस योजना से आच्छादित लाभार्थियों पर ही किया जायेगा।

(9) निदेशक उद्यन इस संबंध में निर्धारित प्राविधान/प्रक्रिया/नियम इत्यादि का अनुपालन करते हुए सदुपयोग करना सुनिश्चित करेंगे।

(10) अवमुक्त की गयी धनराशि का व्यय विवरण प्रत्येक माह की 5 तारीख तक उद्यान अनुभाग, कृषि अनुभाग-3, उ0प्र0 शासन तथा नोडल अधिकारी, आर0के0वी0वाई0, कृषि निदेशालय, लखनऊ को उपलब्ध करायी जायेगी।

भवदीय,

(रवि शंकर मिश्र)
उप सचिव।

संख्या -15/2021-596(1)/58-2021 तद्दिनांक:-

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

(1) महालेखाकार (लेखा व हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश इलाहाबाद।
(2) वित्त नियन्त्रक, उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण, उ0प्र0 लखनऊ।
(3) कृषि निदेशक/नोडल अधिकारी, आर0के0वी0वाई0, उ0प्र0, कृषि भवन, लखनऊ।
(4) नोडल अधिकारी, आर0के0वी0वाई, निदेशालय उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण, उ0प्र0 लखनऊ।
(5) सम्बन्धित कोषाधिकारी, उ0प्र0।
(6) कृषि अनुभाग-3, उत्तर प्रदेश शासन।
(7) वित्त (व्यय नियन्त्रण) अनुभाग-1
(8) वित्त (आय व्ययक)अनुभाग-1
(9) गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(रवि शंकर मिश्र)
उप सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in